राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक : एफ.वी.3( )निगो/गौपंनसु/मु.मं. ब.घो./16/ दिनांक : 23 NOV 2016

परिपत्र

गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि के उपयोग के सम्बन्ध में गौशालाओं में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु सहायता राशि के वितरण के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश निम्न प्रकार जारी किये जाते है –:

1. **सहायता राशि की दर व शर्तें :–**

i. गौशाला जिनका पंजीयन दिनांक 31.12.2014 को या इससे पूर्व हुआ हो, जो निरंतर संचालित हों तथा जिनमें दिनांक 01.12.2016 को न्यूनतम 200 गौवंश पालन–पोषण हेतु संधारित हो।

ii. कांजी हाऊस जो दो वर्ष से संचालित हो एवं जिनमें 01.12.2016 को न्यूनतम 200 गौवंश संधारित हो।

iii. गौशालाओं/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के पालन पोषण हेतु तीन वर्ष या अधिक की आयु के (बड़े) गौवंश के लिए रू. 32/– तथा तीन वर्ष से कम आयु के (छोटे) गौवंश के लिए रू. 16/– प्रति गौवंश प्रतिदिन की दर से तीन माह अर्थात जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017 (अधिकतम 90 दिवस) के लिए सहायता राशि देय होगी।

iv. सहायता राशि का उपयोग संधारित गौवंश के चारा–पानी, पशुआहार के लिए किया जावेगा। पशुआहार यथासम्भव आर.सी.डी.एफ. या राजफैड से प्राथमिकता से क्रय किया जायेगा।

v. दिनांक 01.12.2016 को गौशाला/कांजी हाऊस में संधारित वास्तविक गौवंश की संख्या को प्रथम 45 दिवस की सहायता राशि का आधार तथा दिनांक 15.01.2017 को संधारित वास्तविक गौवंश की संख्या अथवा दिनांक 01.12.2016 को संधारित गौवंश **जो भी कम हो,** को आगामी 45 दिवस की सहायता राशि की गणना का आधार माना जावेगा। इसके लिए सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी एवं उनके अधीन अधिकारी/कर्मचारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से जिले में स्थित समस्त कांजी हाऊस एवं गौशालाओं तथा उनमें संधारित वास्तविक गौवंश का भौतिक सत्यापन दिनांक 01.12.2016 को ही करा लिया जावे। बाद में प्रथम किश्त हेतु गौशाला से प्राप्त आवेदन में अंकित गौवंश की संख्या अथवा दिनांक 01.12.2016 को सत्यापित गौवंश की संख्या में अन्तर की स्थिति में **जो भी कम हो,** को सहायता राशि की गणना का आधार माना जावेगा।

vi. सहायता राशि उन्हीं गौशालाओं एवं कांजी हाऊस को देय होगी जिन्हें इस अवधि (जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017) के लिए गौवंश के संधारण हेतु कहीं और जैसे आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग/वध से बचाये गौवंश योजना अन्तर्गत गोपालन विभाग अथवा अन्य राजकीय विभाग/बोर्ड/निगम से सहायता राशि या अनुदान नहीं मिला हो।

vii. जो गौशालायें व्यावसायिक उत्पादन या कारोबार से लाभ की स्थिति में है वे इस सहायता राशि हेतु पात्र नही होंगी।

2. <u>सहायता राशि का उपयोग, मोनिटरिंग एवं उत्तरदायित्व</u> :–

i. गौशाला/कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन तथा पालन पोषण हेतु आवंटित राशि का उपयोग एवं मोनिटरिंग निम्नानुसार <u>"जिला स्तरीय गोपालन समिति"</u> द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

<u>जिला स्तरीय गोपालन समिति</u> :–

जिला कलक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
जिला कोषाधिकारी	सदस्य
उप निदेशक, कृषि	सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव

ii. विशेष परिस्थितियों में जिला गौपालन समिति जिले में स्थित किसी अन्य गौशाला या संस्था को (जो गौवंश का संधारण कर रही हो), यदि आर्थिक सहायता दिया जाना उचित समझती है तो प्रस्ताव गोपालन विभाग को अग्रेषित करेगी। उक्त प्रस्तावों को राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

iii. राशि का नियमानुसार तथा दिशा निर्देशानुसार उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्रियान्वयन <u>जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग</u> उत्तरदायी होंगे। सदस्य सचिव होने के नाते उन्हें जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा आयोजित बैठकों का कार्यवाही विवरण (minutes) तैयार करना एवं समस्त अभिलेखों का अपने कार्यालय में संधारित करना होगा।

iv. गोपालन विभाग को माह अगस्त/सितम्बर 2016 में जिलों से भिजवाई गई सूचना में गौवंश की संख्या तथा अब गौशाला द्वारा आवेदित (दिनांक 01.12.2016) गौवंश की सूचना में यदि असाधारण/असामान्य वृद्धि हो तो जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा इसके कारणों व गौवंश की वास्तविक स्थिति के बारे में विशेष जांच/भौतिक सत्यापन अपने स्तर पर कराया जाना आवश्यक है।

v. सम्बन्धित गौशाला के नोडल एस.वी.ओ./वी.ओ. तथा वी.ए./एल.एस.ए. का यह कार्य व उत्तरदायित्व होगा कि वह सम्बन्धित गौशाला में स्टॉक रजिस्टर में अंकित स्टॉक के अनुसार प्राप्त चारा/पशुआहार का नियमित रूप से सत्यापन करे तथा स्टॉक रजिस्टर का निर्धारित प्रपत्र में संधारण कराना सुनिश्चित करे। गौशाला में स्थित गौवंश जिसके लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा रही है, को चारा एवं पशुआहार दिया जा रहा है यह सुनिश्चित किया जावे, साथ ही सप्ताह में न्यूनतम एक बार गौशालाओं में संधारित स्टॉक का निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।

vi. सम्बन्धित गौशाला के नोडल एस.वी.ओ./वी.ओ. तथा वी.ए./एल.एस.ए. का यह कार्य व उत्तरदायित्व होगा कि एक ही अवधि (जनवरी, फरवरी एवं मार्च 2017) में गौवंश के संधारण हेतु कहीं ओर जैसे वध से बचाये गौवंश योजना अंतर्गत सहायता राशि या अनुदान नहीं मिला हो।

3. <u>निधी से लाभांवित होने वाली पात्र संस्थाएं</u> :–

i. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत गौशालाएं।
ii. नंदीशाला।
iii. स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कांजी हाऊस।
iv. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।

4. <u>संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तें</u> :–

i. संस्था में न्यूनतम 200 गौवंश रखना अनिवार्य होगा तथा 2 वर्ष पुराना पंजीयन आवश्यक होगा।
ii. संस्था द्वारा संधारित गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक गौवंश का नम्बर **एक ही** अर्थात Unique होगा।
iii. संधारित गौवंश पर यदि टैग पहले से ही लगा हुआ हो तो उस टैग नं. के आधार पर संबंधित गौवंश का इन्द्राज निर्धारित रजिस्टर (प्रपत्र–5) में गौशाला प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित करना होगा, यदि गौवंश का टैग नहीं लगा हुआ है तो एकरूपता की दृष्टि से निम्न प्रकार टैग नम्बर अंकित किया जायेगा।

टैग पर प्रथमतः जिले का कोड/द्वितीय–गौशाला का कोड/तृतीय–गौवंश का रजिस्टर क्रमांक अंकित होगा। समस्त जिलों हेतु कोड इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न है। गौशाला का कोड जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार जिला स्तर पर निर्धारित कर गौशालाओं को अवगत कराया जायेगा। गौवंश का क्रमांक गौशाला में संधारित रजिस्टर के आधार पर गौशाला प्रबन्धन द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

iv. संस्था में गौवंश की नस्ल सुधार एवं बधियाकरण हेतु सहमति देनी होगी।
v. गौशाला द्वारा उक्त टैग की संख्या के आधार पर अपने कार्यालय में गौवंश का एक रजिस्टर संलग्न प्रपत्र–5 में संधारित करना होगा। किसी गौवंश की मृत्यु/स्थानान्तरण/दान/विक्रय या अन्य कारणों से गौशाला से निकास हो जाता है तो इस रजिस्टर में लाल स्याही से अंतिम कॉलम में अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि भौतिक सत्यापन के समय स्थिति स्पष्ट हो सके।
vi. संस्था द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जब्त अथवा जिला प्रशासन द्वारा कानून व्यवस्था या जन सुविधा की दृष्टि से गौवंश की सुपुर्दगी पर अपनाने से इन्कार नहीं किया जायेगा।
vii. संस्था द्वारा सूचना एवं प्रोद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली को अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा।
viii. संस्था द्वारा वृद्ध एवं बीमार पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी एवं मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।
ix. संस्था द्वारा विगत दो वर्षों की सी.ए. द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार गौशाला (जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग) के यहां प्रस्तुत करनी होगी।
x. संस्था को विगत वर्षों में दी हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र देना अनिवार्य होगा।
xi. संस्था द्वारा अपनी आय के समस्त स्त्रोतों तथा व्यय का विवरण संस्था के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना होगा अर्थात उक्त आय धार्मिक ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हाउस या दानदाताओं से प्राप्त होती है अथवा अन्य उत्पाद जैसे दूध, गोबर, गौमूत्र अर्क, धूपबत्ती, वर्मीकम्पोस्ट, जैविक खाद, घी, छाछ इत्यादि के विक्रय से होती है।